

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 जून 2026 — ज्येष्ठ 13, शक 1948

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-501/1/2025-TOURISM.— छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 की कंडिका 20 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-2030 में,

- होमस्टे नीति के परिशिष्ट 1 फॉर्म ‘ए’ के बिन्दु (7-ख) “क्या स्वामी/स्वामी के पूर्ववृत्त और प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त की गई है (प्रति संलग्न की जाए)” का विलोपन किया जाए।
- कंडिका 7.1 में तालिका के नीचे दिए गए नोट में “पात्र होमस्टे इकाई पूंजी निवेश सब्सिडी या ब्याज सब्सिडी में से किसी एक का लाभ उठाने की पात्रता होगी” जोड़ा जाए।
- छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति कंडिका 11.1, 11.3, 11.5 में न्यूनतम एक कक्ष तथा अधिकतम 6 कक्ष (12 बेड) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्
“न्यूनतम एक कक्ष तथा अधिकतम 09 कक्ष (18 बेड)”
- कंडिका 10.4 में “जो 03 वर्षों के लिए वैध होगा 13.6 अंक एवं शब्द जो 3 वर्षों के लिए वैध होगा पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदक को पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 3 महीने पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा” के स्थान पर “जो आजीवन (Lifetime) वैध होगा” प्रतिस्थापित किया जाए।
- कंडिका 13 होमस्टे के लिए पंजीकरण और विनियमन नवीन खंड निम्नानुसार जोड़ा जाए

“13.19 छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-2030 के दिशा निर्देश अनुसार इकाई पंजीकरण एवं प्रोत्साहन प्रावधान टूरिज्म बोर्ड के अधिकृत वेबसाइट/पोर्टल/एप के माध्यम से ऑनलाईन भी किया जा सकेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th April 2026

NOTIFICATION

No. RULE-501/1/2025-TOURISM.— In exercise of the powers conferred as per Clause 20 of the Chhattisgarh Homestay Policy 2025–30, the State Government, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Homestay Policy 2025–30, namely:

AMENDMENTS

In the Chhattisgarh Homestay Policy 2025–2030:-

1. In Appendix–1, Form “A”, Point (7-b), the provision “Whether approval has been obtained from the police authorities regarding the antecedents of the owner/owner and the proposed activity (copy to be enclosed)” shall be deleted.
2. In Clause 7.1, the following note shall be added below the table: “Eligible homestay units shall be entitled to avail either capital investment subsidy or interest subsidy.”
3. In Clauses 11.1, 11.2, and 11.5, the words: “Minimum one room and maximum 6 rooms (12 beds)” shall be substituted with:

“Minimum one room and maximum 9 rooms (18 beds)”.
4. In Clause 10.4, the words “which shall be valid for 3 years” and in Clause 13.6, the words and figures “which shall be valid for 3 years; for renewal of registration, the applicant shall submit an application at least 3 months prior to expiry of registration” shall be substituted with: “which shall be valid for lifetime.”
5. In Clause 13 Registration and Regulation for Homestay the following new sub-clause shall be added:

“13.19 As per the guidelines of the Chhattisgarh Homestay Policy 2025–2030, applications for unit registration and incentive provisions may also be submitted online through the authorized website/portal/app of the Chhattisgarh Tourism Board.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 ROHIT YADAV, Secretary.